

बाल श्रम में वृद्धि

यह एडिटरियल 11/06/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित ["Covid has led to major rise in child labour"](#) पर आधारित है। इसमें बाल श्रम की समस्या और कोविड महामारी के कारण इसके प्रसार में वृद्धि के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिंस:

[WHO](#), [UNICEF](#), [ILO](#), [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो](#), [बाल श्रम \(नषिध और वनियिमन\) अधिनियम, 1986](#), [राष्ट्रीय बाल श्रम नीति \(1987\)](#), [पेंसिल पोर्टल](#)

मेन्स:

बाल श्रम - कारण, संबंधित कानून, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और आगे की राह

कोविड-19 महामारी से विश्व काफी प्रभावित हुआ है और स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न कमियाँ उजागर हुई हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार [WHO](#) ने भारत में लगभग 5,31,843 मौतों का आँकड़ा लगाया है।

समाज के हाशिये पर स्थिति वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिये इस महामारी का प्रभाव अत्यंत गहन और दीर्घावधिक रहा है। पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति में जी रहे परिवार गरीबी के कगार पर पहुँच गए हैं। इन स्थितियों ने सामाजिक असमानताओं की भी वृद्धि की है और महिलाओं एवं बच्चों के लिये दुर्व्यवहार, हिंसा एवं सुरक्षा की कमी का जोखिम उत्पन्न किया है।

[यूनिसिफ \(UNICEF\)](#) और [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन \(International Labour Organization- ILO\)](#) की वर्ष, 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि कोविड ने वैश्विक स्तर पर बच्चों को बाल श्रम के खतरे में डाल दिया है, इसलिये वर्ष 2022 के अंत तक बाल श्रम के मामलों में 8.9 मिलियन तक की वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार आपूर्ति शृंखला में व्यवधान ने लोगों को बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है जिससे गरीबी में वृद्धि हुई है।

भारत में बाल श्रम से संबंधित आँकड़े:

- [जनगणना 2011](#) के अंतिम उपलब्ध आँकड़े के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक मौजूद थे।
- [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो](#) की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में [बाल श्रम \(नषिध और वनियिमन\) अधिनियम, 1986](#) के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किये गए, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज हुए और इसके बाद असम का स्थान रहा।
- भारत में प्रवासी बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव पर 'Aide et Action' के अध्ययन से पता चलता है कि COVID-19 महामारी की पहली लहर के बाद ईट निर्माण उद्योग में अपने कार्यशील माता-पिता के साथ शामिल होने वाले बच्चों की संख्या में [दोगुना वृद्धि](#) हुई है।
- ['Campaign Against Child Labour' \(CACL\)](#) के एक अध्ययन के अनुसार 818 बच्चों के बीच किये गए सर्वेक्षण में कार्यशील बच्चों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (28.2% से बढ़कर 79.6%), जिसका मुख्य कारण था COVID-19 महामारी का प्रकोप और विद्यालयों का बंद होना।
- [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन \(ILO\)](#) और [यूनिसिफ](#) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के प्रभावों के कारण बाल श्रम से संलग्न बच्चों की संख्या बढ़कर **160 मिलियन** हो गई है और लाखों अन्य बच्चे इसके जोखिम में हैं।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भारत में बाल श्रम के सबसे बड़े नयिकता राज्य हैं।

भारत में बाल श्रम के प्रमुख कारण:

- **गरीबी:** कई परिवार जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का वहन करने में असमर्थ होते हैं और अपने बच्चों को स्कूल के बजाय काम करने के लिये भेजते हैं। गरीबी कुछ बच्चों को बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने या काम की तलाश में अन्य स्थानों की ओर पलायन करने के लिये भी मजबूर करती है।
- **सामाजिक मानदंड:** कुछ समुदायों और परिवारों में अपने बच्चों को कृषि, कालीन बुनाई या घरेलू सेवा जैसे कुछ व्यवसायों में संलग्न करने की परंपरा पाई जाती है। कुछ समुदाय या परिवार बालिकाओं के लिये शिक्षा को महत्त्वपूर्ण या उपयुक्त नहीं मानते हैं।

- **वयस्कों और कशोरों के लयि अछे कार्य अवसरों की कमी:** उच्च बेरोज़गारी दर और कम मज़दूरी के कारण कई वयस्क और युवा लोग सभ्य एवं सममानजनक कार्य अवसर पाने में असमर्थ होते हैं। यह उन्हें अनौपचारिक एवं खतरनाक कार्यों से संलग्न होने या अपने बच्चों को शर्म में धकेलने के लयि प्रेरति करता है।
- **कमज़ोर स्कूल अवसरचना:** भारत में कई स्कूलों में पर्याप्त सुवधाओं, शकषकों और गुणवत्तापूरण शकषा का अभाव पाया जाता है। कुछ स्कूल शुल्क या अन्य राशिकी भी मांग करते हैं जो गरीब परिवारों के लयि अवहनीय होता है। ये कारक माता-पति को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हतोत्साहति करते हैं या वे उन्हें स्कूल से बाहर नकाल लेते हैं।
- **आपात स्थतियि:** प्राकृतिक आपदाएँ, संघर्ष और महामारी समाज के सामान्य कार्यकलाप को बाधति कर सकती हैं और बच्चों की भेद्यता को बढ़ा सकती हैं। कुछ बच्चे अनाथ हो सकते हैं या घर एवं बुनयिदी सेवाओं तक पहुँच से वंचति हो सकते हैं। उन्हें जीवति रहने के लयि कार्य करने हेतु वविश कथिा जा सकता है या बाल तस्करोँ और अन्य अपराधयिों द्वारा उनका शोषण कथिा जा सकता है।

कोवडि महामारी ने बाल शर्म की समस्या को कसि प्रकार बढ़ा दयिा है?

- **जीवन स्तर में गरिवट:** महामारी ने कई परिवारों के लयि आर्थिक असुरक्षा, बेरोज़गारी, गरीबी और भुखमरी की स्थतियि उत्पन्न कर दी है, जसिसे बच्चों को जीवति रहने के लयि काम करने हेतु मजबूर होना पड़ा है।
- **बच्चों का अनाथ होना:** महामारी ने कई लोगों की जान ली, जसिसे कई बच्चे अनाथ हो गए। परिणामस्वरूप, इनमें से कुछ बच्चे बाल शर्म में संलग्न होने के लयि वविश हो गए।
- **आपूर्ता शृंखला, व्यापार और वदिशी नविश में व्यवधान ने वयस्कों के लयि शर्म की मांग और आय के अवसरों को कम कर दयिा है,** जसिसे बच्चे शोषण के प्रता अधिकि भेद्य हो गए हैं।
- **अनौपचारिकता में वृद्धि:** महामारी ने अनौपचारिक कामगारों की हसिसेदारी में वृद्धिकी है, जनिकी सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य दशा और स्वास्थय देखभाल तक पहुँच की कमी होती है। बच्चों को प्रायः कृषि, घरलू कार्य, स्ट्रीट वेंडिंग, खन्नन और नरिमाण जैसे अनौपचारिक कषेत्रों में नयियोजति कथिा जाता है।
- **प्रवासन:** महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक कठनिाइयों और व्यवधानों के परिणामस्वरूप आंतरिक और सीमा-पार, दोनों तरह के प्रवासन में वृद्धि संभावति है। प्रवासी बच्चे, वशिष रूप से वे बच्चे जो अकेले हैं या अपने परिवारों से अलग हैं, शोषण और बलात शर्म के लयि अतसिंवेदनशील होते हैं।
- **स्कूलों का अस्थायी रूप से बंद होना:** महामारी ने लाखों बच्चों की शकषा को बाधति कथिा है, वशिष रूप से उन बच्चों के लयि जनिकी ऑनलाइन शकषा तक पहुँच नहीं है या जो बजिली, उपकरणों या इंटरनेट की कमी जैसी बाधाओं का सामना करते हैं। स्कूलों के बंद होने से स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट), अल्पायु वविाह, कशोर गर्भधारण और बाल शर्म का खतरा बढ़ गया है।

बाल शर्म का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- **मानव पूंजी संचय में कमी:** बाल शर्म बच्चों की कौशल और ज्ञान संचय करने की क्षमता को कम करता है, जसिसे उनकी भवषिय की उत्पादकता और आय प्रभावति होती है।
- **गरीबी और बाल शर्म की नरितरता:** बाल शर्म अकुशल कार्य के लयि मज़दूरी को कम करता है, नरिधनता चक्र में योगदान देता है और बाल शर्म को बनाए रखता है।

तकनीकी प्रगत और आर्थिक वकिस में बाधा: बाल शर्म तकनीकी प्रगत और नवाचार को बाधति करता है; इस प्रकार यह दीर्घकालिक आर्थिक वकिस और प्रगत को मंद करता है।

अधिकारों और अवसरों का अभाव: बाल शर्म बच्चों को उनके शकषा, स्वास्थय, सुरक्षा और भागीदारी के अधिकारों से वंचति करता है, जसिसे उनके भवषिय के अवसर और सामाजिक गतशीलता सीमति हो जाती है।

- **कमज़ोर सामाजिक वकिस और सामंजस्य:** बाल शर्म देश के भीतर सामाजिक वकिस और सामंजस्य को कमज़ोर करता है, जो स्थरिता और लोकतंत्र को प्रभावति करता है।
- **नकारात्मक स्वास्थय प्रभाव:** बाल शर्म बच्चों के लयि वभिन्न खतरों, शारीरिक चोटों, बीमारयिों, दुर्व्यवहार और शोषण का जोखमि उत्पन्न करता है, जसिसे उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थय, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बाल शर्म को रोकने के लयि सरकार की प्रमुख पहलें

- **शकषा का अधिकार अधनियम (2009):** इसने संवधान में **अनुच्छेद 21A** को शामिल कथिा है जो शकषा को प्रत्येक बच्चे के मूल अधिकार के रूप में मान्यता देता है और 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लयि निःशुल्क एवं अनविर्य शकषा का उपबंध करता है।
- **बाल शर्म (नषिध और वनियमन) अधनियम (1986):** यह अधनियम खतरनाक व्यवसायों एवं प्रकरयिओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 18 वर्ष से कम आयु के कशोरों के नयियोजन पर प्रतबिध लगाता है।
- **कारखाना अधनियम (1948):** यह कसि भी खतरनाक कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नयियोजन पर प्रतबिध लगाता है और केवल गैर-खतरनाक प्रकरयिओं में काम करने की अनुमति रखने वाले कशोरों (14 से 18 वर्ष) के लयि कार्य घंटों एवं दशाओं को नरितरति करता है।
- **राष्ट्रीय बाल शर्म नीति (1987):** इसका उद्देश्य बाल शर्म पर प्रतबिध एवं वनियमन के माध्यम से बाल शर्म का उन्मूलन करना, बच्चों एवं उनके परिवारों के लयि कल्याण एवं वकिस कार्यक्रम प्रदान करना और कार्यशील बच्चों के लयि शकषा एवं पुनर्वास सुनश्चिति करना है।
 - **राष्ट्रीय बाल शर्म परयियोजना (NCLP):** यह बाल शर्म से मुक्त कराए गए बच्चों को गैर-औपचारिक शकषा, व्यावसायिक प्रशकषण, मध्याहन भोजन, वजीफा और स्वास्थय देखभाल प्रदान करने तथा फरि उन्हें औपचारिक स्कूली शकषा प्रणाली में शामिल करते हुए मुख्यधारा में लाने पर केंद्रति है।

- **‘पेंसिल पोर्टल’ (Pencil Portal):** इस मंच का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बाल श्रम का उन्मूलन करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नागरिक समाज और आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **ILO के अभिसमयों का अनुसमर्थन करना:** भारत ने वर्ष 2017 में बाल श्रम पर ILO के दो प्रमुख अभिसमयों (conventions) की पुष्टि की है।
 - **‘द मनिमिम एज कन्वेंशन’ (1973) – संख्या 138:** यह अभिसमय राज्य पक्षकारों के लिये अनिवार्य बनाता है कि वे एक न्यूनतम आयु निर्धारित करे जिसके अंदर किसी को किसी भी व्यवसाय में नयोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह न्यूनतम आयु, अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी करने की आयु से कम नहीं होनी चाहिये और किसी भी स्थिति में 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। हालाँकि विकासशील देश आरंभ में 14 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्दिष्ट कर सकते हैं।
 - **‘द वर्स्ट फॉर्मस ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन’ (1999) – संख्या 182:** यह अभिसमय दासता, बलात् श्रम एवं तस्करी सहित बाल श्रम के सबसे जघन्य रूपों; सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के उपयोग; वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी एवं अवैध गतिविधियों (जैसे मादक पदार्थों की तस्करी) के लिये बच्चों के उपयोग; और खतरनाक कार्यों में बच्चों की संलग्नता (जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुँचाने की संभावना हो), के निषेध और उन्मूलन का आह्वान करता है।

इस समस्या के समाधान के लिये आगे की राह:

- **कानूनी ढाँचे और इसके प्रवर्तन को सशक्त करना:** सरकार को बाल श्रम को प्रतिबंधित एवं वनियमित करने वाले कानूनों को, अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं अभिसमयों के अनुरूप, अधिनियमित एवं संशोधित करना चाहिये।
 - सरकार को पर्याप्त संसाधन आवंटन, क्षमता, समन्वय, डेटा, जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित एवं प्रवर्तित किया जाए।
 - श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिये प्रदत्त दंड, गंभीर और सुसंगत होना चाहिये।
- **सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना:** सरकार को गरीब और कमजोर परिवारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिये ताकि उन्हें बाल श्रम का विशिष्टापूर्ण सहारा लेने से रोका जा सके।
 - इसमें न्यमित नकद हस्तांतरण, सबसिडी, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, खाद्य सुरक्षा जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
 - गरीब परिवारों की ऋण, बचत, सूक्ष्म वित्त और अन्य आजीविका अवसरों तक पहुँच को भी सुगम बनाना चाहिये।
- **सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुरूप सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो।
 - इसे पर्याप्त अवसरचना, शिक्षक, पाठ्यक्रम, सामग्री, छात्रवृत्ति आदि प्रदान कर शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता, सुरक्षा एवं समावेशिता में भी सुधार का प्रयास करना चाहिये।
 - सरकार को स्कूल में नामांकन नहीं कराने वाले या स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये और उन्हें ब्रजि एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण या वैकल्पिक लर्निंग अवसर प्रदान करना चाहिये।
- **जागरूकता बढ़ाना:** सरकार को नागरिक समाज संगठनों, मीडिया, नगिमाँ और नागरिकों के सहयोग से बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों तथा बाल अधिकारों के महत्त्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करना चाहिये।
 - विभिन्न मंचों, अभियानों, नेटवर्क, गठबंधनों आदि का निर्माण कर बाल श्रम के विरुद्ध पहल हेतु कार्रवाई करनी चाहिये।
 - जागरूकता के प्रसार के लिये पंचायतों की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है।
- **आपात स्थितियों और संकटों पर प्रतिक्रिया:** सरकार को संघर्ष, आपदाओं, महामारी या आर्थिक असंतुलन जैसी आपात स्थितियों एवं संकटों पर (जो बाल श्रम के जोखिम को बढ़ा सकते हैं) प्रतिक्रिया एवं कार्रवाई के लिये तैयार रहना चाहिये।
 - प्रभावित बच्चों और परिवारों को मानवीय सहायता एवं सुरक्षा (जैसे कि खाद्य, जल, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक समर्थन आदि) प्रदान करनी चाहिये।
 - संकट के दौरान और उसके बाद शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की नरंतरता बनाए रखना भी सुनिश्चित करना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: बाल श्रम एक वैश्विक चुनौती है जो लाखों बच्चों को प्रभावित करने के साथ उनके आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विकास को बाधित करती है। भारत में बाल श्रम के कारण, परिणाम और समाधान पर चर्चा कीजिये।

वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित हैं? (2018)

- बाल श्रम
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषि प्रथाओं का अनुकूलन
- खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- कार्यस्थल पर लिंग समानता

उत्तर: a

???

प्र. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rise-in-child-labour>

